

—: संशोधित आदेश :-

कार्यालय ओदश संख्या 1599/14-आर.ए./2023 दिनांक 25 जनवरी, 2023 के द्वारा उत्तराखण्ड शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या:-1401/XXXI(15)G/22-74(सा.)/2016 दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 के अनुसार शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाशों के अतिरिक्त मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स के पैरा-243 में दिये गये प्रतिबन्धों के साथ प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सन्-2023 में बैंक/कोषागार/उपकोषागारों को छोड़कर जनपद नैनीताल के सभी कार्यालय/संस्थानों में दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 को अष्टका(अष्टका श्राद्ध पक्ष) का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। त्रुटिवंश उक्त आदेश में दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 को शनिवार अंकित हो गया है।

जनपद नैनीताल में अष्टका दिनांक 06.10.2023 (शुक्रवार) को घोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए अनवष्टका(नवमी श्राद्ध) दिनांक 07.10.2023 (शनिवार) को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है। शेष आदेश यथावत रहेगा।

दिनांक- 05.10.2023

ह०/-
(वंदना),
जिलाधिकारी,
नैनीताल।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

पत्र संख्या: 06/14-रा.सहा./2023 दिनांक 05 अक्टूबर, 2023
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त कुआऊँ मण्डल, नैनीताल।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल।
3. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
4. जिला न्यायाधीश नैनीताल।
5. समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष जनपद नैनीताल।
6. रजिस्ट्रार मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल।
7. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद नैनीताल।
8. अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, हल्द्वानी/नैनीताल/रामनगर।
9. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल।
10. कार्यालय प्रति।


अपर जिलाधिकारी(वि./रा.),
नैनीताल।